



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा

दिनांक 05-07-2025

थाना खेकड़ा पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध विस्फोटक पदार्थ तस्क़र को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से अवैध पटाखे करीब 5 क्विंटल, पटाखा बारूद 10 कि०ग्रा० व गत्ते के पाईप/नलकी वजन करीब 15 कि०ग्रा० व तस्क़री में प्रयुक्त 01 टैम्पो नं० DL-1LAK-8173 बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध विस्फोटक पदार्थों की तस्क़री करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा 01 अवैध विस्फोटक पदार्थ तस्क़र को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से अवैध पटाखे करीब 5 क्विंटल, पटाखा बारूद 10 कि०ग्रा० व गत्ते के पाईप/नलकी वजन करीब 15 कि०ग्रा० व तस्क़री में प्रयुक्त 01 टैम्पो नं० DL-1LAK-8173 बरामद हुआ है ।



उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर मु०अ०सं० 209/25 धारा 5/9बी विस्फोटक अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

इरफान पुत्र अनीस निवासी कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- अवैध पटाखे करीब 05 क्विंटल ।
- पटाखा बारूद 10 कि०ग्रा० व गत्ते के पाईप/नलकी वजन करीब 15 कि०ग्रा०।
- तरकारी में प्रयुक्त टैम्पो नं० DL-1LAK-8173

गिरफ्तार व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० श्री विकास कुमार थाना खेकड़ा ।

2-का० 555 रवि कुमार थाना खेकड़ा ।

3-का० 535 अतुल कुमार थाना खेकड़ा ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 05.07.2025

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 128/25 धारा
316(5)/317(2)/61(2) बीएनएस व 7/13/8 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम
1988 यथासंशोधित 2018 में वांछित 25,000 रुपये के इनामी अभियुक्त को
किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.03.2025

को वादी श्री योगेन्द्र
सिंह पुत्र धर्मवीर सिंह
हाल प्रबंधक

सीएमएसमेरठ निवासी
तेजबिहार रोहटा रोड
थाना कंकरखेड़ा जनपद
मेरठ ने लिखित तहरीर
दी कि अभियुक्तों 1-
गौरव तोमर पुत्र कुलदीप



सिंह निवासी ग्राम जोहड़ी थाना बिनौली जनपद बागपत, 2-रॉकी मलिक पुत्र
राजपाल सिंह निवासी ग्राम हसनपुर थाना व जनपद शामली के द्वारा सीएमएस
कम्पनी में कस्टोडियन का कार्य करते हुए, बैंको से कुल 5,26,12,700 रुपये
कैश एटीएम में जमा कराने के लिये लिए गये किन्तु अभियुक्तों द्वारा रूपयों को
एटीएम में जमा न कराकर गबन कर लिया गया । इस सम्बन्ध में थाना बडौत
पर मु0अ0सं0 128/25 धारा 316(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया था ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 128/25 धारा 316(5)/317(2)/61(2) बीएनएस व 7/13/8 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथासंशोधित 2018 में वांछित 25,000 रुपये के इनामी एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट- उक्त अभियोग में थाना बडौत पुलिस द्वारा पूर्व में 20 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया जा चुका है एवं उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा 25,000 रुपये का ईनाम घोषित किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राजपाल उर्फ बोबी पुत्र मोहकम सिंह निवासी ग्राम हसनपुर थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-क्षेत्राधिकारी श्री विजय तोमर सर्किल बडौत जनपद बागपत ।
- 2-व0उ0नि0 श्री सागर सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-उ0नि0 श्री सिद्धार्थ सक्सेना थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 4-का0 647 प्रवीण भाटी थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 5- का0 666 रघुवीर सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 05.07.2025

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 240/25 धारा 62/64/115(2) /127(2)/351(2)/352 बीएनएस से सम्बन्धित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 240/25 धारा 62/64/115(2)/127(2)/351(2)/352 बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सौकिन पुत्र अख्तर निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 प्रियवृत्त आर्या थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 743 अमित कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 3-का0 579 कौशल शर्मा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना खेकडा

दिनांक 05.07.2025

थाना खेकडा पुलिस ने 03 वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे



अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार वारण्टी/ अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-सुधीर पुत्र पांची निवासी ग्राम मुबारिकपुर थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 2-प्रदीप पुत्र पांची निवासी ग्राम मुबारिकपुर थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 3-मोनू उर्फ मन्नू पुत्र पांची निवासी ग्राम मुबारिकपुर थाना खेकडा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री भुवनेश्वर कुमार थाना खेकडा ।
- 2-है0का0 814 दीपक कुमार थाना खेकडा ।
- 3-है0का0 177 अशोक कुमार थाना खेकडा ।
- 4-है0का0 08 मुकेश कुमार थाना खेकडा ।